प्रेस नोट
दिनांक 03.02.2026

थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–25/26, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त– विपिन कुमार सिंह पुत्र भवानी भीख सिंह निवासी परासपट्टी मझवार थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा चौबेपुर नाला के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 02.02.2026 को प्र0नि0 मोतीगंज को क्षेत्र में भ्रमण/चेकिंग के दौरान जनता से सूचना प्राप्त हुई कि विपिन कुमार सिंह पुत्र भवानी भीख सिंह निवासी परासपट्टी मझवार, थाना उमरी बेगमगंज, जनपद गोण्डा द्वारा एक संगठित अपराधी गिरोह संचालित किया जा रहा है, जिसका सक्रिय सदस्य अर्जुन पाठक पुत्र जय जय राम पाठक निवासी धनुही लोहंगपुर, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा है। उक्त गिरोह समाज में भय एवं आतंक फैलाकर फिरौती हेतु अपहरण जैसे गंभीर अपराध कारित करता है। उक्त गिरोह का कृत्य उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के अन्तर्गत दण्डनीय पाया गया। गिरोहचार्ट तैयार कर अनुमोदन उपरान्त अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें आज दिनांक 03.02.2026 को थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा गैंग लीडर विपिन कुमार सिंह पुत्र भवानी भीख सिंह निवासी परासपट्टी मझवार थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा चौबेपुर नाला के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. विपिन कुमार सिंह पुत्र भवानी भीख सिंह निवासी परासपट्टी मझवार थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–25/26, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्र0नि0 अरविन्द यादव थाना मोतीगंज।
02. व0उ0नि0 रामभवन पासवान।
03. हे0का0 जितेन्द्र कुमार यादव।
04. का0 गगनचन्द यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 03.02.2026

थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा 01 हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दवाच्या के नेतृत्व में थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–526/25 धारा 103(1),238ए बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त इन्तजार पुत्र मो0 हारून वर्तमान पता भैरवनाथ पुरवा थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा स्थायी पता सकरौरा पश्चिमी थाना को0 कर्नलंगज गोण्डा को लखनऊ गोण्डा मार्ग सब्जी मण्डी रोड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 04.12.2025 को थाना कर्नलगंज क्षेत्रांतर्गत मोहल्ला बम्पुलुस निवासी अकबर अली उर्फ चौधरी (उम्र लगभग 40 वर्ष) का शव खैरुद्दीन शाह कब्रिस्तान के पीछे स्थित खेत में बने कुएँ से संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ था। सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारीगण द्वारा स्थानीय पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट/डॉग स्क्वाड टीम को घटना स्थल पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करायी गयी। मृतक की पत्नी श्रीमती नगमा की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 कर्नलगंज में 04 नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें दिनांक 10.12.2025 को थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही के उपरान्त दौरान दोषी पाए गए 03 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार माननीय न्यायालय रवाना किया गया था। आज दिनांक 03.02.2026 को थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त वांछित अभियुक्त इन्तजार पुत्र मो0 हारून को लखनऊ गोण्डा मार्ग सब्जी मण्डी रोड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अभियुक्त का नाम पता–

01. इन्तजार पुत्र मो0 हारून वर्तमान पता भैरवनाथ पुरवा थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–526/25 धारा 103(1),238ए बीएनएस थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्र0नि0 नरेन्द्र प्रताप राय।
02. हे0का0 दीपक मिश्रा।
03. हे0का0 सुभाष कुमार यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 03.02.2026

ऑपरेशन साइबर कवच के दृष्टिगत जनपदीय साइबर सेल टीम द्वारा पीडित के फ्रॉड किए गए 1,01,500/–रूपये कराए गए वापस, पैसे वापस मिलने पर पीड़ित के चेहरे पर लौटी मुस्कान, पीड़ित के परिजनों द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी को बुके भेंटकर किया धन्यवादः–

जनपद गोण्डा में साइबर फ्रॉड अपराध की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के मार्गदर्शन में थाना जनपदीय साइबर से की टीम द्वारा पीड़ित के फ्रॉड गयी धनराशि को सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए धनराशि **1,01,500/–** पीड़ित के खाते में वापस करायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

आवेदक विजय कुमार सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह द्वारा इन्वेस्टमेंट के नाम पर 1,01,500/– रू0 फ्रॉड होने की शिकायत जनपदीय साइबर सेल में दर्ज करायी गयी थी। जिसपर साइबर सेल टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए पीड़ित के 1,01,500/– रू0 की धनराशि वापस करायी गयी। पीड़ित के परिजनों द्वारा अपने रूपये वापस पाकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत को बुके भेंटकर धन्यवाद दिया गया।

नोट– साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल 1930 पर सूचना अंकित कराये, सूचना विलम्ब से देने पर साइबर अपराधियों द्वारा धन निकाल लिया जाता है। धन निकलने के उपरान्त पैसे वापस होने की सम्भावना बहुत कम होती है। लोगो को साइबर ठगों से सावधान रहने की जरुरत है। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओ0टी0पी0, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। फ्रॉड ट्रांजेक्सन होने पर तत्काल अपने बैंक एवं थाना पर गठित साइबर सेल को सूचना दें एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल शिकायत दर्ज कराएँ।

साइबर सुरक्षा टिप्स–

01. ऑनलाइन लेन–देन में सावधानी बरतें
02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।
03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।
05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।
07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।
08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।
09. साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें

मीडिया सेल, गोण्डा।